

प्रपत्र -8 (अ-1) (संशोधित)
अनुसूची-3 (11) (ii)

(मध्य प्रदेश के शासकीय स्वशासी तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम (एम.बी.बी.एस.) में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

ग्रामीण सेवा बॉण्ड

सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

- 1- मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र..... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ ।
- 2- मैंने मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 19 जून 2019 को प्रकाशित संशोधित चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, संशोधन दिनांक 05 अक्टूबर 2021, संशोधन नियम 26 जुलाई 2022, संशोधन नियम दिनांक 10 मई 2023 तथा 02 जुलाई 2024 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है ।
- 3- मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-
 - अ- मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (MBBS Course) पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा ।
 - ब- विहित अवधि जो कि शासकीय/निजी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक वर्ष शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सेवाएं न देने की स्थिति में मैं शासन को रु0 10 लाख (अनारक्षित वर्ग हेतु) रु0 5 लाख (आरक्षित वर्ग हेतु) भुगतान करने का वचन देती/देता हूँ।
 - स- अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की स्थिति में विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा रु0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। एवं निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की सेवा देने अथवा रु0 25 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश होने पर बॉण्ड का निष्पादन संचालक चिकित्सा सेवा के नाम से होगा।
 - द- विहित अवधि जो मुख्य मंत्री जनकल्याण योजना के अन्तर्गत शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा रु0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की सेवा देने अथवा रु0 25 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश होने पर बॉण्ड का निष्पादन संचालक चिकित्सा शिक्षा के नाम से होगा।
 - य- शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले अभ्यर्थियों पर निर्दिष्ट स्थान पर 01 वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा बॉण्ड लागू रहेगा। अनिवार्य ग्रामीण सेवा पूर्ण न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को बॉण्ड राशि रु0 10 लाख जमा करने होंगे।
 - र- यह कि ग्रामीण सेवा न करने /बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज जिसमें प्रवेश के समय जमा कराये गये दस्तावेज तथा MBBS First Professional, Second Professional, Third Professional Part-I तथा Third Professional Part-II, की अंकसूची भी सम्मिलित है वापस नहीं किये जायेंगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.....

2.....

प्रपत्र -8 (अ-2)

अनुसूची-3 (11) (ii)

(मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा से स्नातक पाठ्यक्रम (एम.बी.बी.एस.) के प्रवेशित अभ्यर्थी जो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लाभार्थी हैं)

ग्रामीण सेवा बॉण्ड

सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

- 1- मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र..... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ। मुझे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में निर्धारित अधिकतम शुल्क की राशि के समरूप राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त निजी चिकित्सा महाविद्यालय के शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिये आवश्यक शेष धनराशि योजना अन्तर्गत **ब्याज रहित ऋण** के रूप में शासन द्वारा देय होगी।
- 2- मैंने मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 19 जून 2019 को प्रकाशित संशोधित चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, संशोधन दिनांक 05 अक्टूबर 2021, संशोधन नियम 26 जुलाई 2022, संशोधन नियम दिनांक 10 मई 2023 तथा 02 जुलाई 2024 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है। मैंने मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 5-6/2017/42 (1) दिनांक 14/06/2025 को भी भलीभांती पढ़कर समझ लिया है।
- 3- मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-
 - अ- मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (MBBS Course) पूर्ण करने के पश्चात् आगामी (In-continuation) 05 वर्षों के लिये राज्य शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करूंगा/करुंगी। निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में 05 वर्ष सेवाकाल पूर्ण न करने की स्थिति में, अनुपातिक रूप से **शेष ऋण** की राशि (बिन्दु 1 में उल्लेखित) का भुगतान शासन को करने का वचन देता/देती हूँ।

निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश होने पर बॉण्ड का निष्पादन संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र. के नाम से होगा।
 - ब- यह कि पूर्ण ग्रामीण सेवा न करने पर अनुपातिक शेष ऋण की राशि शासन को जमा न किये जाने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज जिसमें प्रवेश के समय जमा कराये गये दस्तावेज तथा MBBS First Professional, Second Professional, Third Professional Part-I तथा Third Professional Part-II, की अंकसूची भी सम्मिलित है वापस नहीं किये जायेंगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.....

2.....